

17/7/25 पशावली पेशी में ली गई। वही
उभयपक्ष सुनी जा चुकी है
प्राथमिक पक्ष स्वीकार किया जाता
है - विस्तृत निष्पत्ति अलग से
लिखवाया जाकर शामिल पशावली
किया गया। पशावली नंबर से
कम की जाकर दायित्व कर्तव्य
की जाती है आदेश सुनाया
गया। हां

सहायक कलेक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
बुधनागढ़